



दिनांक- 10.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 170/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 10.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।

साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति सवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ





दिनांक- 10.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 171/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के नेतृत्व में चलाए जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अंतर्गत थाना कुलपहाड़ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रथम टीम द्वारा कार्यवाही:

प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित प्रथम टीम, उ0नि0 हरीशंकर यादव मय हमराह का0 विक्की चौधरी, द्वारा माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त पुष्पेन्द्र उर्फ पुस्सु जाटव पुत्र स्व. अयोध्या प्रसाद जाटव, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी मुहल्ला कठवरिया, कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0अ0सं0 298/2025 धारा 109 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट में बागविराजन मंदिर वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

द्वितीय टीम द्वारा कार्यवाही:

इसी क्रम में द्वितीय टीम, उ0नि0 अनिल कुमार यादव मय हमराह का0 विक्की चौधरी, द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ द्वारा निर्गत वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त हजारी लाल पुत्र खिल्ली रैकवार, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0अ0सं0 640/16, मु0नं0 96/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

प्रथम टीम:

1. उ0नि0 हरीशंकर यादव
2. का0 विक्की चौधरी

द्वितीय टीम:

1. उ0नि0 अनिल कुमार यादव
2. का0 विक्की चौधरी

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त:

1. पुष्पेन्द्र उर्फ पुस्सु जाटव पुत्र स्व. अयोध्या प्रसाद जाटव, उम्र 36 वर्ष निवासी मुहल्ला कठवरिया, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा
2. हजारी लाल पुत्र खिल्ली रैकवार, उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम मुढारी, थाना कुलपहाड़, जनपद महोबा





दिनांक- 10.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 172/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

आला कत्ल एवं अवैध तमंचा बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महोबकंठ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के तहत थाना महोबकंठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 70/2026 धारा 103(1)/191(2) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम से संबंधित प्रकरण में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई।

घटना विवरण -

दिनांक 25.05.2026 की रात्रि लगभग 20.00 बजे ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ क्षेत्रांतर्गत दाऊ के हार में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हरनारायण राजपूत उम्र 54 वर्ष की खेत पर हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना दिनांक 26.05.2026 को वादी श्रीमती सुनीता राजपूत द्वारा पुलिस को दी गई, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जिसके आधार पर थाना महोबकंठ पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक महोबा एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ पर गठित पुलिस टीम द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्यों, तकनीकी एवं मानवीय सूचनाओं के आधार पर जांच की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण -

आज दिनांक 10.06.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रूपेन्द्र उर्फ टिकू राजपूत पुत्र गिरजानन्दन, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद बांस की लाठी (आला कत्ल), एक अदद तमंचा 315 बोर एवं एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार, थाना महोबकंठ
2. व0उ0नि0 कन्हैयालाल
3. उ0नि0 देवीशंकर मिश्रा
4. उ0नि0 रामकुमार
5. का0 सुधीर कुमार
6. रि0का0 सारंग रंजन मिश्रा
7. रि0का0 श्रीकान्त





दिनांक- 10.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 173/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा श्रीमती वंदना सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपद में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 10.06.2026 को थानाध्यक्ष श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया मय पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 89/2026 धारा 64(2)(m) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। उक्त अभियोग में अभियुक्त सुनील उर्फ सुशील रैकवार पुत्र देवीदीन उर्फ दिब्बू कहार, उम्र 29 वर्ष, निवासी मुहल्ला अम्बेडकर नगर कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा वांछित चल रहा था।

गिरफ्तारी का विवरण –

अभियुक्त को आज दिनांक 10.06.2026 को रेलवे स्टेशन रोड स्थित महाशक्ति क्रेशर के पास, ग्राम बीला दक्षिण से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी उपरांत अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री सत्यवेन्द्र सिंह भदौरिया
2. का0 धर्मेन्द्र कुमार
3. रि0आ0 ज्ञानेन्द्र गौतम
4. चालक रि0आ0 कमलेश कुमार पाल

गिरफ्तार अभियुक्त –

सुनील उर्फ सुशील रैकवार पुत्र देवीदीन उर्फ दिब्बू कहार, उम्र 29 वर्ष, निवासी मु0 अम्बेडकर नगर, कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा






दिनांक- 10.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 174/26

महोबा पुलिस


सर्किल नगर- थाना कबरई

हत्या की घटना कारित करने वाले हत्यारोपी अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व ₹ 10 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



MAHOBA POLICE
Meticulous Investigation & Prosecution

उत्तर प्रदेश
112
आपात सेवाएं




हत्या की घटना कारित करने वाले हत्यारोपी अभियुक्त को
07 वर्ष का कठोर कारावास व ₹ 10 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, 30प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत श्री शंशाक सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप ए0डी0जे0 प्रथम महोबा द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले हत्यारोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


विवरण निम्नवत है:-

थाना कबरई में पंजीकृत मु.अ.सं. 125/2022 धारा 302 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त रामकृपाल कुशवाहा पुत्र स्व0 रामाधार निवासी ग्राम सिंघनपुर बघारी थाना कबरई जनपद महोबा को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10 हजार/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


उक्त प्रकरण की विवेचना निरीक्षक श्री विनोद कुमार द्वारा की गई। मा0 न्यायालय में लोक अभियोजक श्री तेज प्रताप पचौरी की प्रभावी पैरवी एवं पैरोकार कां0 कुंज बिहारी के समन्वित प्रयासों से अभियुक्त को दोषसिद्ध कराकर दण्डित कराया गया।



निरीक्षक विनोद कुमार
विवेचक



तेज प्रताप पचौरी
एडीजीसी



कां0 कुंज बिहारी
पैरोकार थाना कबरई



दिनांक- 10.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 175/26

महोबा पुलिस

उ०प्र० पुलिस आरक्षी भर्ती (एनरोलमेंट-2025) लिखित परीक्षा जनपद महोबा में तीन दिवसीय कार्यक्रम के उपरांत सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न; तृतीय/अंतिम दिवस पर अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज. जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का किया गया निरीक्षण

आज दिनांक 10.06.2026 को उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित उ०प्र० पुलिस आरक्षी भर्ती (एनरोलमेंट-2025) लिखित परीक्षा का तृतीय/अंतिम दिवस जनपद महोबा में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण में सम्पन्न।

परीक्षा की शुचिता, सुरक्षा एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से तृतीय दिवस पर अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, श्री ज्योति नारायण, जिलाधिकारी महोबा श्रीमती गजल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान मुकुंद लाल राजकीय इंटर कॉलेज एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सहित अन्य परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग व्यवस्था, प्रवेश प्रक्रिया, केन्द्रों पर तैनात पुलिस बल की ड्यूटी व्यवस्था तथा परीक्षा कक्षों में परीक्षार्थियों के बैठने की समुचित व्यवस्था का गहनता से जायजा लिया गया।

अधिकारियों द्वारा परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापकों एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि परीक्षा को पूर्णतः नकलविहीन, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी वातावरण में सम्पन्न कराया जाए तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था अथवा अनुशासनहीनता पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

जनपद के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सतत निगरानी एवं समन्वित व्यवस्था के माध्यम से परीक्षा को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संचालित किया गया तथा प्रशासन एवं पुलिस द्वारा परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्रस्तावित उ०प्र० पुलिस आरक्षी भर्ती (एनरोलमेंट-2025) लिखित परीक्षा जनपद महोबा में दिनांक 08 जून 2026 से 10 जून 2026 तक तीन दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत दो-दो पालियों में सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करायी गयी।

प्रत्येक दिवस दो पालियों में परीक्षा आयोजित की गयी, जिसमें प्रत्येक पाली में कुल 2064 अभ्यर्थियों की उपस्थिति निर्धारित थी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, नकलविहीन एवं सुव्यवस्थित वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु जनपद प्रशासन एवं पुलिस द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था, सतत निगरानी एवं प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।

उपस्थिति विवरण निम्नवत है:

दिनांक 08 जून 2026

प्रथम पाली में कुल 1552 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 512 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

द्वितीय पाली में कुल 1547 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 517 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

दिनांक 09 जून 2026

प्रथम पाली में कुल 1555 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 509 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

द्वितीय पाली में कुल 1554 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 510 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

दिनांक 10 जून 2026

प्रथम पाली में कुल 1606 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 458 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

द्वितीय पाली में कुल 1602 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 462 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

सम्पूर्ण परीक्षा अवधि के दौरान जिलाधिकारी महोबा श्रीमती गजल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरन्तर एवं नियमित रूप से विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग, प्रवेश व्यवस्था एवं परीक्षा संचालन की सतत समीक्षा की गयी।

अधिकारियों द्वारा केन्द्र व्यवस्थापकों एवं ड्यूटी पर तैनात समस्त पुलिस बल को परीक्षा को पूर्णतः नकलविहीन, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश समय-समय पर प्रदान किये गये।

जनपद महोबा में सम्पूर्ण परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई।